

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-998/प्रवर्तन/1-8(34)/स0सु0/2018

दिनांक 07-फरवरी, 2018

सेवा में,

1-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27-02-2017 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27-02-2017 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित ब्लैक स्पॉट speed calming measures आदि का स्थल निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15-02-2018 से 17-02-2018 तक हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न मार्गों पर निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। लीड एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का उल्लेख कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः लीड एजेन्सी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अनिवार्य रूप से दिनांक 15-03-2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डेयन)

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, नवावृत, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, 58/37 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलवीर रोड, देहरादून।
- 5- सदस्य, लीड एजेन्सी, परिवहन आयुक्त कार्यालय।

(डी0 सेन्थिल पाण्डेयन)

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

4/1

लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15-02-2018 से 17-02-2018 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किये गये उपायों के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में एन0 एच0-58, 73 व 74 पर निर्मित speed calming measures का स्थल निरीक्षण का कार्यवृत्त:-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27-02-2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15-02-2018 से 17-02-2018 तक हरिद्वार जनपद में एन0 एच0-58, 73 व 74 पर स्थापित किये गये speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें:-

लोक निर्माण विभाग:-

1- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

शिक्षा विभाग:-

1- डा0 पुष्पा रानी वर्मा, सहायक निदेशक, सदस्य लीड एजेन्सी, (16-02-2018)

पुलिस विभाग:-

1-श्री प्रबोध घिल्डियाल, निरीक्षक, पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

उक्त तिथियों में राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गया:-

- 1- श्री पी0एस0 गुसाई, प्रोजेक्ट मैनेजर, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
- 2- श्री नरेश शर्मा, जनरल मैनेजर, ऐरा कम्पनी, देहरादून।
- 3- कर्नल एस0के0 चावला, तकनीकी सलाहकार, एन0एच0ए0आई0, हरिद्वार।
- 4- कु0 यशोधरा बिष्ट, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की।
- 6- श्री भव्य काम्बोज, कनिष्ठ अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की।
- 7- श्री अतुल कुमार, भूमि अध्याप्ति अधिकारी, एन0एच0ए0आई0।
- 8- श्री विनोद उनियाल, साईट इंजीनियर, एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।
- 9- श्री मुकेश परिहार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एन0एच0ए0आई0।

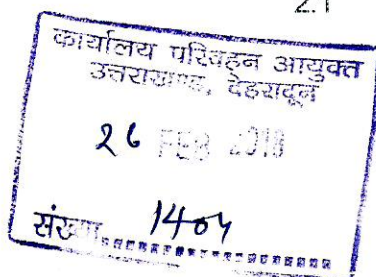
लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15-02-2018 से 17-02-2018 तक हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्नलिखित दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:-

1-दूधाधारी चौक :-

- 1.1 सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।
- 1.2 देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टॉप नहीं पाया गया।
- 1.3 निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कम्पनी की अनावश्यक निर्माण सामग्री पड़ी हुई है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। उक्त सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है।
- 1.4 दूधाधारी चौक से बाजार की ओर पैदल पथ मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग अदृश्य है।
- 1.5 हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

2-चण्डी चौक :-

- 2.1 सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड़ मेले में पूर्व चण्डी घाट चौक पर यातायात के दबाव को कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलकनन्दा होटल के सामने से यू टर्न बनाये



यु

21/2/18

जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

- 2.2 निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चण्डी घाट चौक पर कंसट्रक्शन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।

3-शंकराचार्य चौक:-

- 3.1 लिंक रोड डाम कोठी एवं कनखल मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप लगाये जाने की आवश्यकता है।

4-जानवही डेल :-

- 4.1 यातायात के दबाव को कम करने हेतु कनखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटर्न बनाये जाने की आवश्यकता है।
4.2 मार्ग पर कनखल की ओर ब्लिंकर व रम्बल स्ट्रीप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।

5-सिंहद्वार :-

- 5.1 प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लाई ओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कनखल की ओर से आने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रीप व ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

6-गुरुकुल कांगड़ी :-

- 6.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट मार्किंग से स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यकता है।

7-हरिलोक तिराहा :-

- 7.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य गतिमान है। निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा हरिलोक की ओर से आने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।
7.2 ज्वालापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

8-रानीपुर झाल :-

- 8.1 सम्बन्धित स्थान पर पुल से आगे व पीछे कैस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है।
8.2 बहादुराबाद की ओर कर्व पर डेलीनेटर तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग की आवश्यकता है।
8.3 निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।
8.4 नहर की ओर से आने वाले लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

9-शनिदेव मन्दिर :-

- 9.1 सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मन्दिर के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर पर लगाये जाने की आवश्यकता है।
9.2 निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।


21/2/18

10—शलकर रूड :-

- 10.1 ललंग डरुग कू सलरवल लेन से कुडूते हुये 200 डीटर आगे डुखु डरुग डर डलले कुने से यहुँ डर हुने वली दुर्घटनाओं कु रूका कु सकता है।
- 10.2 ललंग डरुग डर ब्ललंकर व नलरुधरलत गतल सीडर के डूर्ड लगाये कुने की आवश्यकुता है।

11—डलकडूर कुँगी :-

- 11.1 यह घनी आडरडी वलर कुेत्र है। सडूक के डूनों ओर अतलकडण कुलर गयल है। सडुबन्धलत स्थल डर नगर नलगड डुरर डुररर डूर्ड लगाये कुने से सडूक ओर कुलर डलंकरी हु गयी है। अतः इस स्थलन डर नलरन्तर अतलकडण अभलडलन कलरले कुने की आवश्यकुता है।
- 11.2 अतलकडण डुकुत कर सडूक की कुूडरू डूनों ओर 2-2 डीटर डूडरकर ब्लूक टूड कुलर कु सकता है। नगर डरललकल की ओर कुने वलर डरतलडरत कु डलवरूडर डनरकर दुर्घटनाओं कु रूका कु सकता है।
- 11.3 नगर नलगड की ओर आने वलर डरतलडरत के ललए ब्ललंकर एवं स्पीड ड्रेकर लगाये कुने की आवश्यकुता है।

12—डलललूरी कुूक :-

- 12.1 डरुग के डूनों ओर की डटरलडू कु कुूडीकरण कर डरुग की कैरलज-वे की कुूडरू डूडरते हुए डरुग के डूक डें डलवरूडर डनरकर डरतलडरत कु नलरुनूतलत कुलर कुलर। डूनों ओर डरुग डर ब्ललंकर व रूड सलइनेज लगायल कुलर।

13—संजय गुरंग डेट्रूल डडु से कसुडर ओरंगजेडडूर तक :-

- 13.1 डरुग के डूनों ओर थडूडलरुसूक डेनुत से डरकुंग की कुलर। डूनों ओर डेलीनेटर लगाये कुलर तथल कलशन डूर्ड व स्पीड लीडलत कल डूर्ड लगायल कुलर।

14—डंडरवर (एन0एक0-73 कलडू0-25.100) :-

- 14.1 डूरलेन कलरु डुरगतल डर है। स्पीड लीडलत तथल कलरुडुरगतल डर है, कल डूर्ड लगायल कुलर।

15—डुहलनल (एन0एक0-73 कलडू0-13) :-

- 15.1 डूनों ललंक डरुग डर स्पीड ड्रेकर डर थडूडलरुसूक रूड डरकुंग डेनुत लगायल कुलर। ब्ललंकर व स्पीड लीडलत कल डूर्ड लगायल कुलर।

16—नरसन (एन0एक0-58) :-

- 16.1 तलरलहे से डूरु वलंक रूड डर 8-10 रु डें डलडुडलनस स्पीड ड्रेकर डनरल कुलर। ब्ललंकर डनरले कुने की आवश्यकुता है तथल स्पीड लीडलत कल डूर्ड लगायल कुलर व तलरलहे के डरस डूदल डरतुरलडू हेतु कुैडुर कलसलंग डनरल कुलर।

17—शुगर डलल से छलडुर हेडी :-

- 17.1 स्पीड लीडलत कल डूर्ड लगायल कुलर। डूररडेट डर डेनुत कुलर कुलर तथल थडूडलरुसूक रूड डरकुंग डेनुत डरुग के डूनों ओर लगायल कुलर।

18—देवडनुद तलरलहल :-

- 18.1 ललंग डरुग डर डलडुडलनस 8-10 रु डें स्पीड ड्रेकर डनरल कुलर तथल ररडूरीड रलजडरुग डर ब्ललंकस डनरले कुलर व स्पीड लीडलत के डूर्ड लगायल कुलर।

19—देवडनुद तलरलहल से कसुडर डरकुूट :-

- 19.1 सडुबन्धलत स्थलन डर डरुी ओर नवनलरुडलत डुल डर डरतलडरत डलडवरुत करने हेतु रूड सलइनेज लगायल कुलर। थडूडलरुसूक रूड डरकुंग डेनुत लगायल कुलर।

4/

21/2/18

19.2 मार्ग पर अवस्थित अतिक्रमण से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत अतिक्रमण को हटाते हुये सर्विस लेन का कार्य पूर्ण किया जाए।

20—शिकारीवाला पीर से दीप शिखा :-

20.1 लण्डोरा लिंक मार्ग पर 08 रो में बिटमिनस स्पीड ब्रेकर बनाये जाए। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। लिंक रोड पर स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट कराया जाए।

21—डबल फाटक ओवर ब्रिज मोहनपुरा :-

21.1 दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साइनेज व थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाए।

22—तिरछापुल :-

22.1 सम्बन्धित मार्ग पर काशनबोर्ड/स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाए। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाए।

23—बिरला फैक्ट्री से शनिदेव मन्दिर के मध्य :-

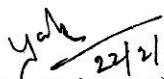
23.1 लिंग मार्ग पर स्पीड लीमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाया जाए तथा स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग की जाए।

24—रसिया बड़ :-

24.1 हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8-10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तथा स्पीड लीमिट व रोड साइनेज के बोर्ड लगाये जाए।

25—गैण्डी खाता :-

25.1 हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग के दोनों ओर सोल्डर्स को फिलिंग द्वारा लेबल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाए तथा स्पीड लीमिट व रोड साइनेज के बोर्ड लगाये जाए।


(प्रबोध चिल्लियाल)
निरीक्षक, पुलिस विभाग,
सदस्य लीड एजेन्सी।


(ज्योती गुप्ता) 2/2/18
अधीक्षण अभियन्ता,
सदस्य लीड एजेन्सी।